

वतीय समावेशन और व्यापक विकास में सहकारी समतियों का प्रभाव

Rakesh Meena^{1*}, Vikram Meena²

¹ Research Scholar, University of Rajasthan

² Research Scholar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

सार - समावेशी वतीय प्रणाली को बढ़ावा देना कई देशों में नीतिगत प्राथमिकता मानी जाती है। गरीब किसानों, ग्रामीण गैर-कृष उद्यमों और अन्य कमजोर समूहों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए वतीय समावेशन महत्वपूर्ण है। जब क वतीय समावेशन के महत्व को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण प्रवाह के आधार पर वतीय समावेशन की सीमा के आकलन का अभाव है। उदारकृत, तेजी से वैश्विक, बाजार संचालित भारत की अर्थव्यवस्था आज समावेशी विकास को सुवधाजनक बनाने में वफल रही है। यह पेपर वतीय समावेशन की सीमा का मूल्यांकन करके इस अंतर को भरने का प्रयास करता है और भारत में वतीय समावेशन के महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में सहकारी समितियों की सक्रय भागीदारी पर जोर देता है।

कीवर्ड- वतीय समावेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, सहकारी बैंक, एएफसी

-----X-----

1 परिचय

भारत में वतीय समावेशन की अध्यक्षता वाली समिति ने वतीय समावेशन को परिभाषित किया है, "वतीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया और कमजोर वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को सस्ती कीमत पर समय पर और पर्याप्त क्रेडिट की आवश्यकता होती है"। वतीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है और समावेशी विकास हासिल करने की दिशा में पर्याप्त पहला कदम है। वतीय समावेशन में बैंक खातों जैसे वतीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच शामिल होनी चाहिए - खाते में चेक, तत्काल क्रेडिट, बचत उत्पाद, प्रेषण और भुगतान सेवाएं, बीमा - स्वास्थ्य देखभाल, बंधक, वतीय सलाहकार सेवाएं और उद्यमी क्रेडिट। भारत सरकार का वतीय समावेशन का वस्तुतः करने के लिए काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1969 में प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ा कदम था। 1975 में GOI ने इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के शाखा वस्तुतः को प्रोत्साहित किया। बैंकों को आरबीआई के दिशानिर्देश से पता चलता है कि उनके शुद्ध बैंक ऋण का

40% प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दिया जाना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से कृष, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार आदि शामिल हैं। हमारी 80% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष पर निर्भर है। इस लिए शुद्ध बैंक ऋण का 18% कृष ऋण में जाना चाहिए। केवाईसी मानदंडों का हा लया सरलीकरण एक और मील का पत्थर है। [1]

फर भी बैंक वतीय समावेशन के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंकों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद निम्न आय वाले परिवारों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। 100 देशों के बीच बैंक सेवाओं की पहुंच की सीमा का पता लगाने के लिए वतीय समावेशन के पहले सूचकांक में, भारत को 50वां स्थान दिया गया है। केवल 34% भारतीय व्यक्तियों के पास बैंक सेवाओं तक पहुंच है या वे प्राप्त करते हैं। वतीय रूप से बहिष्कृत भारतीय व्यक्तियों की सूची में मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वंचित वर्ग जैसे किसान, छोटे वक्रता, कृष और औद्योगिक मजदूर, असंगठित क्षेत्रों में लगे लोग, बेरोजगार व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और शारीरिक रूप से अक्षम लोग

शा मल हैं। वतीय बहिष्कार का मुख्य कारण नियमत या पर्याप्त आय की कमी है। ज्यादातर मामलों में कम आय वाले लोग ऋण के लिए योग्य नहीं होते हैं। वतीय सेवा की निकटता एक और तथ्य है। नुकसान न केवल परिवहन लागत है बल्कि कम आय वाले व्यक्ति के लिए दैनिक मजदूरी का नुकसान भी है। बहिष्कृत अधिकांश उपभोक्ताओं को बैंक के उन उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। स्थानीय साहूकार से अपनी वतीय आवश्यकताओं के लिए धन प्राप्त करना बैंक से ऋण प्राप्त करने की तुलना में आसान है। अधिकांश बैंकों को अपने ऋण के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। कम आय वाले व्यक्ति के लिए बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा, बैंक अपने वतीय लक्ष्यों को पूरा करने को अधिक महत्व देते हैं। इस लिए वे बड़े खातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। छोटे ऋण देना और लाभ कमाना बैंकों के लिए लाभदायक नहीं है। [2]

2. भारत में वतीय समावेशन

2.1 वतीय समावेशन - उठाए गए कदम

वतीय समावेशन पर आयोग की रिपोर्ट 2012 तक बहिष्कृत भारतीय ग्रामीण परिवारों के कम से कम 50 प्रतिशत (50.77 म लयन) और शेष 2015 तक वतीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय ग्रामीण वतीय समावेशन योजना की स्थापना की सफारिश करती है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने अभिनव कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के योगदान से बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट सुवधा, उदारीकृत शाखा वस्तार, एटीएम के लिए उदारीकृत नीति, प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का परिचय, प्री-पेड कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / सहकारी समितियों को अनुमति देने जैसी बैंकिंग सेवाओं में विकास हुआ है। बीमा और वतीय उत्पाद बेचने के लिए ऑपरेटिव बैंक, वतीय साक्षरता कार्यक्रम, विशेष निधि का निर्माण आदि। [3]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नई शाखाएं खोलने के कारणों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग सेवा गरीबों के लिए सुलभ हो। अन्य कदमों में बहिष्कृत क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना, शहरी सूक्ष्म वित्त और सूक्ष्म वित्त संस्थानों की अलग श्रेणी के उपाय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का वस्तार करना और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) और अन्य

सहकारी समितियों का उपयोग करना शामिल है। बहिष्कृत समूहों के वित्तपोषण के लिए समूह दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकिंग चैनल और सहकारी समितियों के रूप में। [4]

लेकिन वित्त अनुमान स्रोतों और सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट है कि अभी भी 50% ऋण व्यावसायिक जरूरतों के बजाय आपात स्थिति को पूरा करने के लिए हैं। यहां तक कि अमीर लोगों को भी बाहर रखा गया है, यहां तक कि अमीर लोगों को भी ऋण उद्देश्यों के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रौद्योगिकी की अनुपस्थिति, पहुंच और कवरेज की अनुपस्थिति, डलीवरी तंत्र की अनुपस्थिति, व्यवसाय मॉडल न होने आदि के कारण भी वतीय बहिष्करण बना रहता है। वर्तमान परिदृश्य में वतीय समावेशन की प्रक्रिया में सहकारी बैंकों की सक्रय भागीदारी अपरिहार्य हो जाती है क्योंकि विश्व स्तर पर, देश सहकारी समितियों के पैठ लाभ को भुनाने के माध्यम से ही समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। [5]

2.2 दुनिया भर में सहकारी समितियों का दायरा

संयुक्त राज्य में, 10 में से 4 व्यक्ति एक सहकारी बैंक (40%) के सदस्य हैं। यूरोप में सहकारी बैंकों में 150 म लयन से अधिक ग्राहक (यूरोपीय संघ की आबादी का एक तिहाई), 60,000 बैंकिंग डेस्क, 50 म लयन सदस्य हैं। फ्रांस में, 21,000 सहकारी समितियाँ 700,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। जर्मनी में, 8,106 सहकारी समितियाँ 440,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। यूरोप में सहकारी बैंक मांस उत्पादों के 74%, डेयरी उत्पादों के 96%, अंडे के उत्पादन के 50%, वानिकी उत्पादों के 34% और बैंकों में कुल जमा राशि के 34.2% के लिए जिम्मेदार हैं। कोरिया में कृषि सहकारी समितियों में 2 म लयन से अधिक किसानों (सभी किसानों का 90%) की सदस्यता है, जो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन है। कोरियाई मत्स्य सहकारी समितियां भी 71% की बाजार हिस्सेदारी की रिपोर्ट करती हैं। भारत में, 239 म लयन से अधिक लोग एक सहकारी समिति के सदस्य हैं। जापान में, कृषि सहकारी समितियों की सदस्यता में सभी जापानी किसानों का 91% हिस्सा है। चीन में 180 म लयन सदस्य हैं। मलेशिया में 5.4 म लयन सदस्य हैं जो जनसंख्या का 20% है। जापान के सभी जापानी परिवारों में लगभग 5 में से 1 एक स्थानीय रिटेल को-ऑप से संबंधित है और सभी को-ऑप सदस्यों में से 90% महिलाएं हैं। संगापूर में, उपभोक्ता सहकारी समितियों के पास सुपरमार्केट खरीद में 55% बाजार है और 700 म लयन अमेरिकी डॉलर का

कारोबार है। संगापूर में, 50% जनसंख्या (1.6 म लयन लोग) एक सहकारी स मति के सदस्य हैं। [6]

2.3 सहकारिता रोजगार सृजित करती है

सहकारी स मतियाँ दुनिया भर में 100 म लयन से अधिक रोजगार प्रदान करती हैं, बहुराष्ट्रीय उद्यमों की तुलना में 20% अधिक। कनाडा में, सहकारी स मतियाँ और क्रेडिट यूनियनों में 160,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। कोलम्बिया में, सहकारी आंदोलन 109,000 नौकरियां प्रदान करता है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में 23% रोजगार, परिवहन क्षेत्र में 18% रोजगार, श्रमक/औद्योगिक क्षेत्र में 13%, वतीय क्षेत्र में 11% और 9% है। कृष क्षेत्र में।

2.4 भारत की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

भारत की जनसांख्यिकी समग्र रूप से उल्लेखनीय रूप से व वध है। लगभग 1.13 बिलियन से अधिक लोगों की भारत की जनसंख्या में वश्व की जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा शामिल है। भारत मूल रूप से एक कृष प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसकी कुल जनसंख्या का 72% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के पास बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि यह भौगोलिक रूप से व वध है और हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा अवक सत है इस लए इसमें काफी गुंजाइश है। भारत की प्रमुख समस्या जनसंख्या से संबंधित है। उद्योग के मामले में, सी मत क्षमता अधिक रोजगार की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। [7]

2.5 भारत में सहकारी स मतियों का विकास

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना 1963 में NCDC अधिनियम 1962 के तहत कृष उपज के उत्पादन, वपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लए की गई थी। आज, सहकारी स मतियाँ भारत के प्रत्येक गाँव को कवर करती हैं। सहकारी स मतियों का कृष ऋण वतरण का 46%, उर्वरक वतरण का 36%, चीनी उत्पादन का 59%, गेहूँ की खरीद का 32% और भंडारण सुवधा का 65% हिस्सा है। उर्वरक उत्पादन और वतरण में भारतीय कसान उर्वरक सहकारी (इफको) का 35 प्रतिशत से अधिक बाजार पर कब्जा है, जिसमें 50 म लयन से अधिक कसान जुड़े हुए हैं। चीनी के उत्पादन में बाजार की सहकारी हिस्सेदारी 58 प्रतिशत से अधिक है और कपास के वपणन और वतरण में उनकी हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। हस्त-बुनाई क्षेत्र में 55 प्रतिशत करघे सहकारी क्षेत्र का है। सहकारी स मतियाँ 50 प्रतिशत खाद्य तेलों का प्रसंस्करण, वपणन और वतरण

करती हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नेतृत्व में और 15 राज्य सहकारी दुग्ध वपणन संघों के माध्यम से संचालित डेयरी सहकारी स मतियाँ अब दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गई हैं। [8]

2.6 भारतीय सहकारी क्षेत्र के ग्रे क्षेत्र

खराब बुनियादी ढाँचा, जागरूकता की कमी, गुणवत्ता प्रबंधन की कमी, सरकार पर अत्यधिक निर्भरता, निष्क्रिय सदस्यता, चुनावों का असंचालन, मजबूत मानव संसाधन नीति का अभाव, व्यावसायिकता की उपेक्षा, प्रतिबंधित कवरेज भारतीय सहकारिता के कुछ उदास क्षेत्र हैं। सहकारिताएं मजबूत संचार और जनसंपर्क रणनीतियों को अवक सत करने में भी असमर्थ हैं जो जनता के बीच सहयोग की अवधारणा को बढ़ावा दे सकती हैं।

भारत में गरीबी उन्मूलन के लए वतीय समावेशन एक बड़ा कदम है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लए, सरकार को एक कम परिप्रेक्ष्य वाला वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें सहकारी बैंक कम आय वाले उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लए आवश्यक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लए स्वतंत्र हों और फर भी लाभ कमा सकें। ग्रामीण वतीय सेवा प्रदाताओं को इन उपभोक्ताओं और उन तक पहुँचने के लए नए व्यापार मॉडल के बारे में अधिक सीखना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल के अनुकूलन के माध्यम से भारतीय सहकारी बैंक-कृष वत निगम की सफलता का केस अध्ययन प्रासंगिक होगा। इसकी चर्चा अगले भाग में की गई है।

3. साहित्य की समीक्षा

गोल्डबर्ग (2005) ने व भन्न अध्ययनों और साहित्य के अवलोकन के साथ पुष्टि की है कि सूक्ष्म वत कार्यक्रम आय बढ़ा सकते हैं और परिवारों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। अन्य परिणामों के बीच तक पहुँच। [9]

एस. डू. बी.सी. भट्टाचार्य और एस. सेन, (2007) सीएसआर के लए उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं पर एक ब्रांड की सामाजिक पहलों को उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति (यानी, एक सीएसआर स्थिति) में एकीकृत करने की सीमा के मॉडरेटिंग प्रभाव की जांच करते हैं। हम पाते हैं कि उपभोक्ताओं द्वारा आयोजित सकारात्मक सीएसआर वश्वास न केवल अधिक खरीद संभावना के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि दीर्घकालिक वफादारी और वकालत के व्यवहार के साथ भी जुड़ा हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण

बात यह है कि हम पाते हैं कि सभी सीएसआर पहल समान नहीं बनाई गई हैं: एक ब्रांड जो खुद को सीएसआर पर रखता है, अपनी सीएसआर रणनीति को अपनी मुख्य व्यवसाय रणनीति के साथ एकीकृत करता है, उन ब्रांडों की तुलना में अधिक संभावना है जो केवल सीएसआर-वशुप्ट श्रेणी का लाभ उठाने के लिए सीएसआर में संलग्न हैं। उपभोक्ता डोमेन में लाभ। [10]

चट्टोपाध्याय (2011) ने भारतीय राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यानी वृतीय समावेशन की उच्च, निम्न और मध्यम सीमा वाले राज्य जो तीन बुनियादी आयामों (1) बैंक पैठ (2) बैंक सेवाओं की उपलब्धता और (3) के उपयोग पर आधारित है। बकाया जमा और ऋण की मात्रा के साथ बैंक प्रणाली। [11]

चट्टोपाध्याय (2011) ने भारतीय राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, यानी वृतीय समावेशन की उच्च, निम्न और मध्यम सीमा वाले राज्य जो तीन बुनियादी आयामों (1) बैंक पैठ (2) बैंक सेवाओं की उपलब्धता और (3) के उपयोग पर आधारित है। बकाया जमा और ऋण की मात्रा के साथ बैंक प्रणाली। [12]

टी. रॉय और के. सेन (2015) जिला सहकारी बैंक पछड़े क्षेत्रों में एसएचजी के लिए जमा जुटाने और सूक्ष्म ऋण के संवतरण में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वे ऋणों के समय पर पुनर्भुगतान के लिए बार-बार क्रेडिट भी प्रदान करते हैं। रिवाँल्विंग फंड और कम्युनिटी इनवेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) एनआरएलएम द्वारा एसएचजी को वृतीय वशवास और मुख्यधारा के बैंक वत को आकर्षित करने के लिए एक स्वस्थ ट्रेक रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। [13]

एग्वु, एन.पी. (2016) ने खुलासा किया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वृतीय सेवाओं तक पहुंच के संबंध में व भन्न आयु समूहों से संबंधित लाभार्थियों की धारणाओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। [14]

एस. सेनापति और ए. भाटिया, (2018) भारत में सोसायटी की संख्या, सदस्यता, जमा, उधारकर्ताओं की संख्या, उन्नत ऋण के संदर्भ में सहकारी ऋण विशेष रूप से प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के विकास का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह पैक्स को पुनर्जीवित करने और पुनर्जीवित करने के लिए वैद्यनाथन समिति सहित व भन्न समितियों द्वारा किए गए उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि सहकारी बैंकों के

माध्यम से वृतीय समावेशन का गरीबी उन्मूलन पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वृतीय समावेशन के माध्यम से बचत, ऋण, बीमा, ऋण आदि जैसी बुनियादी वृतीय सेवाओं तक पहुंच ने गरीबों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और उन्हें गरीबी के चंगुल से बाहर निकालने में मदद की है। [15]

4. भारत में व्यापक विकास

4.1 सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में वृतीय समावेशन की सफलता के लिए पूर्वापेक्षाएँ

भारतीय एएफसी मामले का अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाता है कि सहकारी समितियों की भागीदारी के बिना भारत में वृतीय समावेशन की सफलता लगभग असंभव है। इस सफलता को हकीकत बनने के लिए जरूरी है कि उपयुक्त तकनीक, उपयुक्त और कुशल वतरण मॉडल, मुख्यधारा के बैंकों का दृढ संकल्प और भागीदारी, बैंकों के बीच मजबूत सहयोग, तकनीकी सेवा प्रदाता, बिजनेस चैनल सेवाएं, सभी की भागीदारी, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर राज्य प्रशासन। रूट लेवल और बिजनेस कॉरैस्पॉण्डेंट मॉडल का उदारीकरण

4.2 अपने ग्राहक (केवाईसी) को अपने ग्राहक को बढ़ाने के साधन के रूप में जानें (जीवाईसी)

वर्तमान में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड सभी प्रकार के ग्राहक खातों पर लागू होते हैं। यह न केवल ग्राहक की पहचान करता है बल्कि ग्राहक की गति व धर्यों को भी समझता है, और यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक के खाते/खातों में संचालन वास्तविक उद्देश्य के लिए हैं। केवाईसी मानदंडों का अनुप्रयोग व भन्न कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। नशीली दवाओं की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गति व धर्यों, हथियारों के लेन-देन आदि के कारण कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

वृतीय समावेशन मुख्य रूप से उन गरीबों पर केंद्रित है जिनके पास औपचारिक वृतीय संस्थागत समर्थन नहीं है और उन्हें स्थानीय साहूकारों के चंगुल से छुड़ाना है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, हमारे कुछ बैंक अब सामान्य प्रयोजन के क्रेडिट कार्ड और कारीगर क्रेडिट कार्ड के साथ आगे आए हैं जो संपार्श्विक-मुक्त लघु ऋण प्रदान

करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के साथ, हमारे बैंक अब निम्न आय वर्ग के लिए "नो फ्रल" खातों की पेशकश कर रहे हैं। लेन-देन में कुछ प्रतिबंध के साथ इन खातों में या तो कम न्यूनतम या शून्य शेष है। व्यक्तिगत बैंक के पास यह तय करने का अधिकार है कि खाते में शून्य या न्यूनतम शेष राशि होनी चाहिए या नहीं। वतीय संस्थानों के संयुक्त प्रयास से मार्च 2006-2007 के बीच छह म लयन नए 'नो फ्रल' खाते खोले गए। बैंक अब समय वातावरण में वतीय समावेशन को व्यवसाय के अवसर के रूप में मान रहे हैं जो विकास को सुगम बनाता है। आरबीआई ने 'नो फ्रल' खाता खोलने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों को सरल बना दिया है। यह कम आय वाले व्यक्ति को बिना पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के 'नो फ्रल' खाता खोलने में मदद करेगा।

ऐसे मामलों में बैंक किसी मौजूदा ग्राहक से व्यक्ति का परिचय ले सकते हैं जिसकी पूर्ण केवाईसी मानदंड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और परिचयकर्ता का कम से कम 6 महीने तक बैंक के साथ संतोषजनक लेन-देन होना चाहिए। यह सरलीकृत प्रक्रिया उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो एक साथ सभी खातों में 50,000 रुपये से अधिक की शेष राशि रखने का इरादा रखते हैं। इस सुवधा से हम कम आय वाले समूह से अप्रयुक्त, काफी मात्रा में धन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में ले जा सकते हैं। बैंकों को अब गैर-सरकारी संगठनों, एसएचजी और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवा का उपयोग मध्यस्थ के रूप में व्यापार सुवधाकर्ता और व्यापार संवाददाता मॉडल के उपयोग के माध्यम से वतीय और बैंक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है।

5. उपसंहार

सहकारी बैंकों को सुरक्षित और जीवंत संस्थाओं में विकसित करने के लिए उन्हें कुशल होने की आवश्यकता है। बैंक प्रौद्योगिकी शहरी बैंक प्रणाली के लिए जगह में है। इस लिए सहकारी बैंकों को इस तकनीक को एक अवसर में बदलने के बारे में सक्रिय होना चाहिए। बाजार की मौजूदा प्रवृत्त और नीति निर्माताओं का सुझाव है कि बैंकों के लिए बेहतर अस्तित्व के लिए, आकार महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वतीय पुनर्गठन और संस्थागत सुधार का संयोजन केवल सहकारी बैंकों को दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है। सरल, छोटे, कफायती उत्पादों के प्रावधान से निम्न आय वाले परिवारों को औपचारिक वतीय क्षेत्र में लाने में मदद मिलेगी। कम आय वाले उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचने की बैंकों की सीमाएं हैं। संवाददाताओं को एक

उत्कृष्ट चैनल माना जा सकता है जिसका उपयोग बैंक अपने उत्पाद की जानकारी वितरित करने के लिए कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को वतीय लाभों और बैंकों के उत्पादों के बारे में शिक्षित करना जो कम आय वर्ग के लिए फायदेमंद है, उनकी क्षमता का दोहन करने के लिए एक अच्छा कदम होगा।

दक्षता को आउटपुट के इनपुट के अनुपात से मापा जाता है, जहां इस अनुपात का एक बड़ा मूल्य बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है। एक सहकारी बैंक के प्रदर्शन की संकल्पना उस हद तक की जाती है, जिस सीमा तक बैंक अपने संसाधनों का उपयोग व्यापार लेनदेन उत्पन्न करने में सक्षम है और इसे एक दक्षता अनुपात द्वारा मापा जाता है। बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए तकनीकी दक्षता (टीई) पर विचार किया जाता है। TE वस्तुओं और सेवाओं के दुर्लभ कारक इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को संदर्भित करता है। स्केल दक्षता तकनीकी दक्षता का वह घटक है जिसे ऑपरेशन के आकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह देखा गया है कि वर्तमान वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों की शुद्ध तकनीकी दक्षता में ग्रावट की प्रवृत्त दिखाई दी है। स्केल एफ शॉर्टेज के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्त देखी गई है।

कॉर्पोरेट संस्कृति में बदलाव से स्थायी दक्षता भी आएगी और इस तरह सहकारी समितियाँ मजबूत निजी खलाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। सहकारी उद्यमों के प्रबंधन में व्यावसायिकता नवीनतम विकास के साथ कर्मचारियों की गुणवत्ता को उन्नत करेगी और प्रबंधकों और निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच एक उचित और सौहार्दपूर्ण संबंध भी विकसित करेगी। सहकारी नेताओं और पेशेवर अधिकारियों दोनों के लिए उचित और निरंतर प्रशिक्षण होना चाहिए। चावल, चीनी, फल, सब्जियाँ जैसी कई कृषि वस्तुएं हैं; मसाले आदि जिनका निर्यात बाजारों में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। वदेशी बाजार में कृषि सहकारी समितियाँ इसका लाभ उठा सकती हैं। दृष्टि, समर्पण, प्रतिबद्धता और सबसे बढ़कर अभिनव दृष्टिकोण वाला नेतृत्व प्रतिस्पर्धा के युग में सहकारी पहचान को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

संदर्भ

1. डॉ. के.सी.चक्रवर्ती, डप्टी गवर्नर, आरबीआई "वतीय समावेशन को आगे बढ़ाना - मुद्दे,

- चुनौतियां और आगे की राह", 17 जुलाई, 2009 को मुंबई में 20वें स्काॅच शखर सम्मेलन 2009 में प्रस्तुति।
2. रंगराजन समिति (2008), वत्तीय समावेशन समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार।
 3. "अफ्रीका में ग्रामीण वत्त चुनौतियों को संबोधित करने में नवाचार" अफ्रीका तकनीकी कार्यशाला, 26 नवंबर 2008 www.afra.org।
 4. डॉ. के. श्रीहर्ष रेड्डी, "आंध्र प्रदेश में छोटे उधारकर्ताओं के बीच वत्तीय समावेशन की सीमा पर एक अध्ययन", प्रबंधन, वज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम - 1 नंबर -1 जनवरी-जून 2011।
 5. मोहन राकेश (2006), "आर्थिक विकास, वत्तीय गहनता और वत्तीय समावेशन", वार्षिक बैंकर्स सम्मेलन 2006, हैदराबाद में संबोधन।
 6. बसंत कुमार और ब्रजराज मोहंती, "भारत के विशेष संदर्भ के साथ सार्क देशों में वत्तीय समावेशन और समावेशी विकास" वलक्षण, एक्सआईएमबी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट वॉल्यूम VIII अंक 2 सितंबर 2011।
 7. वश्व बैंक (2006), "दक्षिण एशिया में सूक्ष्म वत्त-गरीबों के वत्तीय समावेशन की ओर"।
 8. अरोडा रश्मि उमेश, (2010), "मेजरिंग फाइनेंशियल एक्सेस", ग्रफथ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, जून।
 9. गोल्डबर्ग, एन। (2005)। माइक्रोफाइनेंस के प्रभाव को मापना: हम जो जानते हैं उसका जायजा लेना। ग्रामीण फाउंडेशन यूएसए प्रकाशन श्रृंखला, 1-52।
 10. दू. एस., भट्टाचार्य, सी.बी., और सेन, एस. (2007)। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से संबंधित पुरस्कार काटना: प्रतिस्पर्धी स्थिति की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मार्केटिंग, 24(3), 224-241।
 11. चट्टोपाध्याय (2011)। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औपचारिक वत्त का प्रभाव। द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 32(2), 234-262।
 12. बोलास-अराया, एचएम, और सेगुई-मास, ई। (2014)। सहकारी बैंकों में स्थिरता रिपोर्टिंग यूरोप में उनके प्रकटीकरण का वश्लेषण।
 13. रॉय, टी., और सेन, के. (2015)। एसएचजी-गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक चलांग। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट जर्नल, 50(7), 12-15।
 14. एग्वु, पीएन (2016)। नाइजीरिया में कृषि उत्पादन, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर कृषि

वत्तपोषण का प्रभाव। जर्नल ऑफ बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थकेयर, 6(2), 36-42

15. सेनापति, एस., और भाटिया, ए. (2018)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास की दिशा में पैक्स के योगदान पर एक अध्ययन। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र पत्र, 8(13), 2818।

Corresponding Author

Rakesh Meena*

Research Scholar, University of Rajasthan